THE MINISTER OF STATEIR IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKARA MURTMY): (a) to (c) The Central Fifth Pay Commission has been constituted and there is no proposal at present to appoint any more Mem_ bers in the Pay Commission.

(d) The Commission has not yet started taking formal oral evidence but will do so in due eourse.

Staff in Bhuj Customs Division

935. SMT. ANANDIBEN JETHABHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) Wha: is the category-wise number of staff on duty in Bhuj Customs Division at present;

(b) What was the category-wise staff strength sanctioned by Government for Bhuj Customs Division;

(c) Whether it is a fact that Kutch border ia Gujarat has become the safe place fu* th; smugglers and traitors, and if sc what are the re i loas for not appointing sanctioned staff by Govenment; and

(d) by-whin Government would ippoinE sanct' oned stiff'io the above division ?

THE MINISTER OF STATS IN THS MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASEKHARA MURTHY) : (a) and (b) The category-wise number of staff sanctioned and working in Bhuj Customs Division is as under :—

Cetegory	Sanctioned Strength	Working strength
Group 'A'	1	1
Group 'B'	8	3
Group 'C' & 'D'	245	197

(c) and (d) After liberalisation of channels for official imports of gold and silver, activities of smugglers in land and sea borders, including Kutch border, have generally declined The working staff strength is keeping the situation under control.

गुजरात में जब्त किये गये नशीले पदार्थ

936. श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा गुजरात में जब्त किए गए नशीले पदार्थों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कितने मुकदमे चलाए गए ; और

(ग) नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वर्ष 1994 (नवम्बर तक) के दौरान गुजरात में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा जब्त

किए गए स्वापक औषधों की मात्रा (कि० ग्रा० में) निम्नानुसार है :—

स्वापक औषध	एजेंसी		
	पुलिस	सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	राजस्व आसूचना निदेशालय
अफीम . . .	37.000	—	—
हेरोइन . . .	17.052	1.550	1.329
गांजा . . .	66.000	—	—
चरस/हशीश . . .	170.000	256.000	—
मैथाक्वालोन/मैन्ड्रैक्स . .	81.000	—	7211.00

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 30 है । यथोचित जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा ।

(ग) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं, कि एन० डी० पी० एस० एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें । अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है । भारत-पाक सीमा के एक भाग की बेराबंदी कर दी गई है । सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वापक औषधों पर रोक लगाई जा सके ।

गुजरात में मारे गए आयकर संबंधी छापे

937. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 से 30 सितम्बर, 1994 तक की अवधि के दौरान गुजरात में आयकर विभाग द्वारा किन-किन व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों पर छापे मारे गए ;

(ख) इनमें से प्रत्येक व्यक्ति, फर्म और कंपनी से कितने-कितने मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई; और

(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) उन व्यक्तियों, फर्मों तथा कंपनियों के नाम, जिनके संबंध में आयकर विभाग द्वारा गुजरात में दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 30 सितम्बर, 1994 तक की अवधि के दौरान तलाशियां ली गई थीं, तथा पकड़ी गई वस्तुओं का मूल्य विवरण में दिया गया है (**नीचे देखिए**) ।

(ग) दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 30 सितम्बर, 1994 तक ली गई तलाशियों के दौरान आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था ।